राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।

क्रमांकःएफ(69)/मु0/कार्मिक/अपील/जाँच/2016/415

दिनांकः– 21/10/2016

कार्यालय–आदेश

निगम में कार्यरत अनुबन्धित सेवानिवृत जाँच अधिकारियों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की विभागीय जाँचों का कार्य नियमानुसार निष्पादित करने पर पूर्व में इस कार्यालय के आदेश संख्याः एफ(69)/मु0/कार्मिक/अपील/जाँच/2015/1530 दिनांक 26.8.2015 एवं 102 दिनांक 11.3.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक दिये जाने के आदेश प्रसारित किये हुये है । इसी क्रम में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. विभागीय जाँच के दौरान आरोपी कर्मचारी द्वारा जाँच अधिकारी के समक्ष अपने (स्वयं के) आरोप स्वीकारोक्ति की स्थिति में जाँच अधिकारी को पूर्ण जाँच का सम्पूर्ण पारिश्रमिक का भुगतान देय होगा ।
2. जाँच अधिकारी द्वारा आरोपी/शिकायतकर्ता को सूचना/सम्मन देने के उपरान्त भी आरोपी एवं शिकायतकर्ता विभागीय जाँच पेशी में जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होते है तथा जाँच कार्यवाही बन्द कर, जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जाँच अधिकारी को पूर्ण जाँच का सम्पूर्ण पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान देय होगा ।
3. जाँच अधिकारी को मुख्य प्रबन्धक द्वारा प्रेषित जाँच पत्रावली जाँच अधिकारी के कार्यालय में प्राप्ति दिनांक एवं जाँच अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय से पूर्ण जाँच पत्रावली सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक को पत्र प्रेषित दिनांक की तिथि से ही पारिश्रमिक/ मानदेय भुगतान करने की अवधि की गणना की जायें ।
4. जिन पूर्ण निष्पादित की गई विभागीय जाँचों में पूर्व में ही बिलों की स्वीकृति अथवा भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है,उन बिलों का पुनर्रावलोकन नहीं किया जावेगा ।

अतः उक्त पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे ।

(राजेश यादव)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकःएफ–69/मु0/कार्मिक/अपील/जाँच/16/415

दिनांकः– 21/10/2016

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,रारापपनिगम,मुख्यालय जयपुर ।
2– समस्त विभागाध्यक्ष ———— रारापपनिगम,मुख्यालय जयपुर ।
3– उप महा प्रबन्धक(प्रशासन/वित्त/यातायात/आईटी,रापनि,मु0 जयपुर।
4– समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त),रारापपनिगम,———— ।
5– श्री ———————— अनुबन्धित जांच अधिकारी,————— ।
6– निजी/आदेश पत्रावली ।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)